



प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक : 12 मई, 2026

विषय:- प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अभियन्त्रण (सिविल) इकाई संवर्ग में अवर अभियन्ता के 15 पदों की निरन्तरता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-14फ/नि0अ0-05/2026-27/30, दिनांक 17.04.2026 एवं शासनादेश संख्या-273/2016/1508/पॉच-6-16-5(16)/14, दिनांक 03.11.2016, शासनादेश संख्या-1489/पॉच-6-19-5(16)/14 दिनांक 31.07.2019, शासनादेश संख्या-2021/पॉच-6-19-5(16)/14, दिनांक 20.08.2019, शासनादेश संख्या-295/2023/आई0/420655/2023-5-6099-219/2023-6, दिनांक 03.11.2023, शासनादेश संख्या-03/2024/आई0/460148/2024-5-6099-219/2023-6 दिनांक 02.01.2024, शासनादेश संख्या-157/2024/आई0/726214/2024-5-6099-219/2023-6 दिनांक 28.08.2024, शासनादेश संख्या-57/2026/आई0/1240968/2026-5-6099-219/2023-6 दिनांक 17.02.2026 व वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-2-2574/दस-98-24(8)/92, दिनांक 02.12.1998 के अनुक्रम में उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक 03.11.2016 द्वारा प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अभियन्त्रण (सिविल) इकाई संवर्ग में जनपद बागपत, हाथरस, चन्दौली, संतकबीरनगर, चित्रकूट, बलरामपुर, कन्नौज, श्रावस्ती, अमरोहा, कासगंज, औरैया, शामली, हापुड, सम्भल एवं अमेठी हेतु अवर अभियन्ता के 15 अस्थायी पद (वेतनमान रुपये 9300-34800/- ग्रेड पे रुपये 4200/-) दिनांक 28.02.2017 तक के लिये सृजित किया गया था।

2- शासनादेश संख्या-57/2026/आई0/1240968/2026-5-6099-219/2023-6 दिनांक 17.02.2026 द्वारा व्यापक जनहित एवं निर्माण कार्यो का पर्यवेक्षण/अनुश्रवण किये जाने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अभियन्त्रण (सिविल) इकाई संवर्ग में उक्त पदों की अपरिहार्य आवश्यकता के दृष्टिगत उक्त शासनादेश दिनांक 03.11.2016 द्वारा सृजित अवर अभियन्ता के 15 पदों की वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 01-3-2025 से 28-2-2026 तक) की निरन्तरता की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अभियन्त्रण (सिविल) इकाई संवर्ग में उक्त पदों की अपरिहार्य आवश्यकता के दृष्टिगत उक्त शासनादेश दिनांक 03.11.2016 द्वारा सृजित अवर अभियन्ता के 15 पदों की वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु दिनांक 01.03.2026 से दिनांक 28.02.2027 तक के लिये निरन्तरता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4- प्रश्नगत पदों पर होने वाले व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-32 के लेखाशीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-110 अस्पताल तथा औषधालय-04 एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय के सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
- (2) महालेखाकार (लेखा – परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
- (3) मिशन निदेशक, एन.एच.एम., 30प्र0, लखनऊ।
- (4) महानिदेशक, परिवार कल्याण, 30प्र0, लखनऊ।
- (5) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0, लखनऊ ।
- (6) अपर निदेशक (नियोजन/बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0, लखनऊ ।
- (7) अपर निदेशक (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0, लखनऊ ।
- (8) निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0, लखनऊ ।
- (9) अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0, लखनऊ ।
- (10) वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 /वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, 30प्र0 शासन।
- (11) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त अनुभाग।
- (12) कार्यालय आदेश पुस्तिका।
- (13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव